दिनांक हुक्म	कार्यवाही
13.11.17	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षगण अनुपस्थित। न्यायालय समय में तीन-तीन बार आवाज लगवाने के बावजूद कोई भी उपस्थित नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आदेशिका दिनांक 30.4.14 से तलबाना पेश करने हेतु वादी को समुचित अवसर 10.4.17 तक प्रदान किये जा चुके हैं। पर्याप्त अवसर प्राप्त किये उपरान्त भी पुनः न्यायहित 7.9.17, 16.10.17 को दो अवसर न्यायालय द्वारा प्रदान किये गये। फिर भी वादी द्वारा समन-तलबाना पेश नहीं किये गये और पेश नहीं करने के कारणों से अवगत करवाया गया। अतः न्यायालय अन्तर्गत आदेश 9 नियम 3 व 5 सी.पी.सी. वाद को खारिज करना उचित समझता है। वाद को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]
	उपखण्ड अधिकारी [illegible] (राज०)
	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] (राज.)